रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 847] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2008/ज्येष्ठ 30, 1930
No. 847] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2008/JYAISTHA 30, 1930

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2008

का.आ. 1510(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"आदेश

कानपुर, उत्तर प्रदेश के श्री मदन मोहन शुक्ला (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) द्वारा भारत की राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री अमर सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के निबंधनानुसार तारीख 11 दिसंबर, 2007 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमें उनकी अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया है;

और उक्त याचिका में यह अभिकथन किया गया था कि प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश विकास परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूपीडीसी कहा गया है) के अध्यक्ष के रुप में अपनी नियुक्ति के कारण उस निगम के प्रबंधक भी हैं और इस प्रकार उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के अधीन निरर्हता उपगत की है और इस प्रकार वह संसद् सदस्य के रुप में बने रहने के लिए निरर्हित हैं;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 19 दिसंबर, 2007 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री अमर सिंह संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के अधीन संसद् का सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने तथ्यों तथा याची और प्रत्यर्थी दोनों के तर्कों पर विचार किया है और यह संप्रेक्षण किया कि दोनों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 में अंतर्विष्ट उपबंधों की अनदेखी की है, जिसके अधीन कोई संसद् सदस्य केवल तभी निरर्हता उपगत करेगा यदि वह किसी ऐसी कंपनी या निगम का प्रबंधक है जिसकी पूंजी में केंद्रीय सरकार का कम से कम 25% शेयर है;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि याची ने अपनी याचिका या अपने प्रत्युत्तर में कहीं भी ऐसा मामला नहीं बनाया है कि केंद्रीय सरकार का यूपीडीसी की पूंजी में 25% से कहीं कम का कोई शेयर है और अतः इस सुसंगत तथ्य की अनुपस्थिति में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन उसमें उल्लिखित आधारों पर श्री अमर सिंह की निरर्हता के प्रश्न को उठाना उचित नहीं है;

और उपरोक्त विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग का सुविचारित मत यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि श्री अमर सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा) ने यूपीडीसी में निदेशाधीन अपना पद धारण करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन निरर्हता उपगत की है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि प्रत्यर्थी, याची की तारीख 11 दिसंबर, 2007 की याचिका में उठाए गए आधारों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं;

अतः, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करती हूं कि श्री अमर सिंह, याची की तारीख 11 दिसंबर, 2007 की याचिका में उठाए गए आधारों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

11 जून, 2008

भारत की राष्ट्रपति"।

[फा. सं. एच. 11026(1)/2008-वि. II]
के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2008

S.O. 1510(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"ORDER

Whereas a petition dated the 11th December, 2007 raising the question of alleged disqualification in terms of sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution in respect of Shri Amar Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) (hereinafter referred to as the respondent) under clause (1) of article 103 has been submitted to the President of India by Shri Madan Mohan Shukla of Kanpur, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the petitioner);

And whereas the allegation in the aforesaid petition was that the respondent, by virtue of his appointment as Chairman of the Uttar Pradesh Development Council (hereinafter referred to as UPDC) is also the manager of that Corporation and has thus attracted disqualification under sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution read with section 10 of the Representation of the People Act, 1951 and is thus disqualified for continuing as a Member of Parliament;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 19th December, 2007 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Amar Singh has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) under sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has considered the facts and contentions of both the petitioner and respondent and observed that both have overlooked the provisions contained in section 10 of the Representation of the People Act, 1951 whereunder, a Member of Parliament will attract disqualification only if he is a Manager of a company or corporation in the capital of which the Central Government has not less than 25% share;

And whereas the Election Commission has noted that it is nowhere the case of the petitioner either in his petition or in his rejoinder that the Central Government has any share in the capital of UPDC much less a share of 25% and therefore in the absence of this relevant fact, the raising of the question of disqualification of Shri Amar Singh under section 10 of the Representation of the People Act, 1951 on the grounds mentined therein is misconceived;

And whereas having regard to the above legal and factual position, the Election Commission is of the considered view that Shri Amar Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) cannot be said to have incurred disqualification on account of his holding the office under reference in UPDC, under section 10 of the Representation of the People Act, 1951;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annexure) that the respondent is not subject to disqualification under sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution read with section 10 of the Representation of the People Act, 1951 on the grounds raised in the petition dated the 11th December, 2007 of the petitioner;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri Amar Singh is not subject to disqualification under sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution of India read with section 10 of the Representation of the People Act, 1951 on the grounds raised in the petition dated the 11th December, 2007 of the petitioner.

11th June, 2008 President of India".

[F. No. H-11026(1)/2008-Leg. II]
K. D. SINGH, Secy.

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

2007 का निर्देश मामला सं. 13

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत की राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन श्री अमर सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता ।

राय

भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन तारीख 19 दिसंबर, 2007 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री अमर सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा) की, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी ।

2. श्री अमर सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न कानपुर, उत्तर प्रदेश के श्री मदन मोहन शुक्ला द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत, तारीख 11 दिसंबर, 2007 की याचिका में उठाया गया था ।

3. याचिका में यह अभिकथन था कि श्री अमर सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा), उत्तर प्रदेश विकास परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूपीडीसी कहा गया है) के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के कारण उस निगम के प्रबंधक भी हैं और इस प्रकार उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हता उपगत की है और इस प्रकार वह संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के साथ पठित उक्त धारा 10 के अधीन संसद् के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हैं । याचिका में यह तर्क है कि यूपीडीसी 15.10.2003 को उत्तर प्रदेश राज्य

सरकार द्वारा आरंभ में एक सोसाइटी के रूप में बनाया गया था और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था । तत्पश्चात्, उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा ने 4.4.2006 को उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अधिनियम, 2006 पारित किया था जिसके द्वारा यूपीडीसी भूतलक्षी रूप से अपने बनाए जाने की तारीख 15.10.2003 से निगम के रूप में संपरिवर्तित हो गई थी । याची का यह मामला और है कि यूपीडीसी को संपूर्ण वित्तीय सहायता राज्य सरकार की निधियों से प्राप्त होती है । यूपीडीसी, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान द्वारा वित्त पोषित होती है और यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की यूपीडीसी में 25% से अधिक की शेयर पूंजी है । उन्होंने यह और तर्क दिया है कि यूपीडीसी के अध्यक्ष का पद उक्त निगम के प्रबंधक के समतुल्य है क्योंकि अध्यक्ष के रूप में संगठन पर संपूर्ण नियंत्रण है ।

4. आयोग ने 24.01.2008 को प्रत्यर्थी को एक सूचना जारी की थी, जिसमें उसे 15.02.2008 तक मामले में अपना उत्तर फाइल करने के लिए कहा गया था । 15.02.2008 को प्रत्यर्थी ने यह कथन करते हुए कि यूपीडीसी एक सोसाइटी है और न कि एक निगम है, अपना उत्तर फाइल किया था । प्रत्यर्थी ने यह कथन किया था कि यूपीडीसी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है और इस रूप में यह न तो निगम है और न ही कंपनी है, जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन निरर्हता लागू हो सके । यह और कि यूपीडीसी एक सोसाइटी है और इसलिए सरकार तो क्या किसी भी व्यक्ति द्वारा उसमें शेयरधारण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

5. याची ने अपनी याचिका में अपना तर्क दोहराते हुए प्रत्युत्तर फाइल किया था । प्रत्युत्तर में याची ने यह कथन किया था कि प्रत्यर्थी का मामला पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अंतर्गत आता है और परिणामस्वरूप संविधान का अनुच्छेद 102(1)(ङ) लागू होता है जो प्रत्यर्थी को यूपीडीसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से राज्य सभा की सदस्यता से निरर्हित होने के लिए दायी बनाता है ।

6. आयोग ने मामले के सुसंगत तथ्यों और याचिका, उत्तर तथा प्रत्युत्तर में दोनों पक्षकारों के तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है । पूर्वोक्त से यह प्रेक्षित होता है कि याची का मुख्य तर्क यह है कि यूपीडीसी एक निगम है जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूपेण सहायता प्राप्त है और इस प्रकार ऐसा निगम है जिसमें राज्य सरकार की 25% से अधिक शेयर पूंजी है । प्रत्यर्थी का प्रतिवाद है कि यह एक सोसाइटी है और न कि कोई निगम है । स्पष्ट रूप से याची और

प्रत्यर्थी, दोनों ने ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के मुख्य सारभूत उपबंध की उपेक्षा की है । श्री अमर सिंह, संसद् के सदस्य हैं और उक्त धारा 10 के अधीन वह केवल तभी निरर्हित होंगे यदि वह किसी ऐसी कंपनी या निगम के प्रबंधक हैं जिसकी पूंजी में केंद्रीय सरकार के 25% से कम शेयर नहीं हैं । धारा 10 निम्न प्रकार है :–

"सरकारी कम्पनी के अधीन पद के लिए निरर्हता–कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक वह (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) किसी ऐसी कम्पनी या निगम का जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है ।"

धारा 10 के अर्थान्तर्गत "समुचित सरकार" को अधिनियम की धारा 7(क) में परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

"7(क) "समुचित सरकार" से संसद् के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार तथा किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार अभिप्रेत है ।"

7. याची की याचिका या उसके प्रत्युत्तर में याची का यह मामला नहीं बनता है कि केंद्रीय सरकार के शेयर यूपीडीसी की पूंजी में 25% से कम है । अतः याचिका में उल्लिखित आधारों पर धारा 10 के अधीन श्री अमर सिंह की निरर्हता का प्रश्न उठाने वाली यह याचिका स्पष्ट रूप से भ्रामक है ।

8. उपरोक्त विधिक और तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का यह सुविचारित मत है कि यह नहीं कहा जा सकता कि अमर सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन, यूपीडीसी में निर्देशाधीन अपना पद धारण करने के कारण निरर्हता उपगत की है । इन परिस्थितियों में, याची के तर्क पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है कि अमर सिंह द्वारा धारित यूपीडीसी के अध्यक्ष का पद यूपीडीसी के प्रबंधक के पद के समतुल्य है । इस विषय में कोई वैयक्तिक सुनवाई करना भी आवश्यक नहीं है चूंकि उससे केवल पक्षकारों के लिए समय तथा धन की बर्बादी होगी ।

9. भारत की राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन

भारत निर्वाचन आयोग की राय के साथ तदनुसार इस प्रभाव के साथ वापस किया जाता है कि प्रत्यर्थी, याची की याचिका तारीख 11 दिसंबर 2007 में उठाए गए आधारों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस. वाई. कुरैशी)	(एन. गोपालास्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 5 मई, 2008

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 13 of 2007

[Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution]

In *re:*

Alleged disqualification of Shri Amar Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha), under Article 102(1)(e) of the Constitution.

OPINION

A reference dated 19th December, 2007 was received from the President of India, under Article 103(2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission of India on the question of alleged disqualification of Shri Amar Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) for being Member of that House under Article 102 (1)(e) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of Shri Amar Singh was raised in a petition dated 11th December, 2007, submitted to the President by Shri Madan Mohan Shukla of Kanpur, Uttar Pradesh.

3. The allegation in the petition was that Shri Amar Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha), by virtue of his appointment as Chairman of the Uttar Pradesh Development Council (hereinafter referred to as UPDC) is also the manager of that Corporation and has thus attracted disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution of India read with Section 10 of the Representation of the People Act, 1951, and is thus disqualified for continuing as a Member of

Parliament under the said Section 10 read with Article 102(1)(e) of the Constitution. . The contention in the petition is that the UPDC was initially formed as a society by the Uttar Pradesh State Government on 15.10.2003 and was registered under the Societies Registration Act, 1860. Subsequently, the Uttar Pradesh State Legislature passed the Uttar Pradesh Development Council Act, 2006 on 4.4.2006, whereby the UPDC was converted retrospectively into a corporation from the very date of its formation on 15.10.2003. The petitioner's further case is that the whole of the financial support to the UPDC comes from the funds of the State Government. The UPDC is funded by grant given by the State Government and, therefore, it is apparent that the State Government of U. P. has share capital of more than 25% in the UPDC. He has further contended that the office of Chairman of the UPDC is equivalent to that of Manager of the said Corporation as the Chairman is in overall control of the organization.

4. The Commission issued notice to the respondent on 24.1.2008 asking him to file his reply in the matter by 15.2.2008. On 15.2.2008, the respondent filed his reply stating that the UPDC is a society and not a corporation. The respondent stated that the UPDC is a society, registered under the Societies Registration Act, 1860 and as such it is not a corporation or company so as to attract the disqualification under Section 10 of the Representation of the People Act, 1951. Further, the UPDC is a society and there is no question of share holding in it by any one, leave alone the Government.

5. The petitioner filed a rejoinder reiterating the contentions in his petition. In the rejoinder, the petitioner stated that the case of the respondent is fully and squarely covered by Section 10 of the Representation of the People Act, 1951 and consequently attracts Article 102(1)(e) of the Constitution making the respondent liable to be disqualified from the membership of Rajya Sabha from the date he assumed charge as Chairman, UPDC.

6. The Commission has carefully considered the relevant facts of the case and the contentions of both the parties in the petition, reply and rejoinder. From the foregoing; it is observed that the main contention of the petitioner is that the UPDC is a corporation which is fully funded by the State Government of Uttar Pradesh, and hence a corporation in which the State Government has a share capital of more than 25%. The respondent's defence is that it is a society and not a corporation. Apparently, both the petitioner and the respondent have overlooked the main substantive provision of Section 10 of the Representation of the People Act, 1951. Shri Amar Singh is a Member of Parliament and, under the said Section 10, he will attract disqualification only if he is a Manager of a company or corporation in the capital of which the Central Government has not less than 25% share. Section 10 is reproduced below :-

> **"10. Disqualification for office under Government Compnay**—A person shall be disqualified if, and for so long as, he is a managing agent, manager or secretary of any company or corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the appropriate Government has not less than twenty five per cent share."

The 'appropriate government' within the meaning of Section 10 is defined in Section 7(a) of the Act which is also reproduced below :

> 7(a) "appropriate Government" means in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of either House of Parliament, the Central Government, and in relation, to any disqualification for being chosen as or for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State, the State Government."

7. It is nowhere the case of the petitioner either in his petition or in his rejoinder that the Central Government has any share in the capital of UPDC much less a share of 25%. Therefore, this petition raising the question of disqualification of Shri Amar Singh under Section 10 on the grounds mentioned therein is obviously misconceived.

8. Having regard to the above legal and factual position, the Commission is of the considered view that Shri Amar Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) cannot be said to have incurred disqualification on account of his holding the office under reference in UPDC, under Section 10 of the Representation of the People Act, 1951. In the circumstances, it is not necessary to go into the contention of the petitioner that the office of Chairman of UPDC held by Shri Amar Singh is equivalent to that of Manager of UPDC. It is also not necessary to hold any personal hearing in the matter as that would only be a waste of time and money for the parties.

9. The reference received from the President of India is accordingly returned with the opinion of the Election Commission of India under Article 103(2) of the Constitution of India to the effect that the respondent is not subject to disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution of India read with Section 10 of the Representation of the People Act, 1951 on the grounds raised in the petition dated 11th December, 2007 of the petitioner herein.

(S.Y.Quraishi)	(N.Gopalaswami)	(Navin B.Chawla)
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi
Dated: 5th May, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.